न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34 / 2022	17 / 08 / 2022	13 / 06 / 2023

1. बाबूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा
2. गोपाल (मृतक) पुत्र रामसुक्खा जाति माली जर्ये कायम मुकाम –

(2 / 1) ओमप्रकाश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2 / 2) महावीर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2 / 3) मुकेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2 / 4) दिनेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2 / 5) विनोद पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2 / 6) चन्द्रकला पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2 / 7) सुनीता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा

3. भैरूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा
4. घींसी पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा
5. मंगला पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. कृष्णमुरारी पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण
2. पुरूषोत्तम पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण
3. निर्मला देवी पुत्री कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण
4. बृजमोहन (मृतक) पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण जरिये कायम मुकाम

(4 / 1) विद्यादेवी पत्नी बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4 / 2) अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4 / 3) मधुसूदन पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4 / 4) उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4 / 5) मन्जू शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

5. मेघराज पुत्र रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
6. मदनलाल पुत्र मूलीलाल जाति धाकड़ निवासी शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
7. परमानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति खाती निवासी आडागैला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
8. मन्जू पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी सरोवर नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
9. रूपनाथ पुत्र छीतानाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् 88,89,91,92(क),188 आर.टी.एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निम्न भूमियां स्थित है। जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमियां कहा गया है। ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074– 77 खाता संख्या नया 140 पुराना 135 खसरा नंबर 1049/2820 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 1055 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 हैक्टर ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074– 77 खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा नंबर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3439/1877 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टर ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074– 77 खाता संख्या नया 1446 पुराना 147 खसरा नंबर 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074– 77 खाता संख्या नया 212 पुराना 202 खसरा नंबर 1049 रकबा 0.39

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

हैक्टर, ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमावन्दी संवत 2029– 2032 के अनुसार खतौनी संख्या नयी 405 पुराना 402 खसरा नंबर 267 तलाब का पेटा रकबा 19 बीघा 81 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादीगण के पिता रामसुक्खा बेटा माधो व भूरी बेवा गोपाल जाति माली बांट बराबर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिसके मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 – 60 के अनुसार नये खसरा नंबर 1055 रकबा 2.56 हैक्टर, खसरा नंबर 1049 रकबा 0.45 हैक्टर बनाये गये। इसी प्रकार गत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी इटावा के खाते दर्ज है। जिसके नये खसरा नंबर 1877 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर बनाये गए। नये खसरा नंबर वाद पत्र की मद नंबर 1 के अनुसार है। वादीगण के पिता रामसुक्खा व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी ने दिनांक 12/12/1977 को आपसी समझौते के तहत उक्त दोनों भूमियां अदल–बदल कर ली और गत खसरा नंबर के अनुसार खसरा नंबर 267 की भूमि 19 बीघा 18 बिस्वा तलाब का पेटा ग्राम इटावा जो रामसुक्खा वल्द माधो व भूरी बेवा गोपाल माली निवासी इटावा के बांट बराबर पर दर्ज है। चूकि भूरी खातेदार ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 13/06/1975 को अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया शेष 9.5 बीघा भूमि वादीगण के पिता की प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी जी को व प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल के खाते की गत रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा वादीगण के पिता को देने की लिखा–पढ़ी हुई। लेकिन उक्त लिखा–पढ़ी की पालना वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओं के मध्य मौके पर नहीं हुआ तथा प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पढ़े–लिखे व शुरू से ही तहसील पीपल्दा से डीड राइटर होने से व कानूनी जानकारी होने से व वादीगण के पिता अनपढ़ होने के कारण वादीगण की भूमि खसरा नंबर 267 पर कपटपूर्वक व बेईमानी से वादीगण के पिता का रहन दर्ज होने पर भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा कुन्जबिहारी जी ने अपने खाते की भूमि गत खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा से भी अपना नाम नहीं हटाया और तहसील कर्मचारियों से मिलकर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि पर स्वयं कुन्जबिहारी जी का ही नाम दर्ज हो गया। जबकि उक्त समझौते के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी जी द्वारा खसरा नंबर 1928/1109 पर वादीगण के पिता रामसुक्खा का नाम दर्ज करवाना चाहिए था। उक्त अदल–बदल की पालना आज तक नहीं हुई है इसलिए अनुपयोगी है, वादीगण आज भी अपनी भूमि गत खसरा नंबर 267 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1055 व 1049 पर वादीगण आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है। जबकि प्रतिवादीगण दोनों भूमियों पर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुऐ उक्त भूमियों को खुर्द–बुर्द, बेचान करने पर आमादा है। जबकि वादीगण की भूमि खसरा नंबर 1055 व 1049 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी के साथ प्रतिवादीगण का नाम राहिन (पूर्ण खाता) गोपाल, बाबू पुत्र रामसुख, जमुना बेवा रामसुक्खा माली पंजाब नेशनल बैंक शाखा इटावा के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने सम्पूर्ण भूमि पर अनुचित रूप से नाम दर्ज है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से रिकॉर्ड दुरूस्त करवाते हुऐ वादीगण की भूमि पर दर्ज प्रतिवादीगण के पिता का नाम कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल का नाम खाते से हटवायें व वादीगण का नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाये तदर्थ वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, हस्तांतरण, रहन, बेचान, क्षतिग्रस्त करने पर आमादा है। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व निर्माण करने, पट्टा बनवाने व स्वयं के नाम संपरिवर्तन करवाने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि नामान्तरकरण का केवल वित्तीय उद्देश्य है, यह अधिकारों का अन्तिम निर्णायक नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण जबरन आपस में दीगर व्यक्तियों से मिलकर वादीगण को गलत तरीके से सम्पूर्ण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। प्रतिवादीगण दिनांक 04/08/2022 को वादीगण की भूमि पर आये और वादीगण की भूमि पर निर्माण करने लगे और अपने नाम का फायदा उठाते हुऐ दीगर व्यक्तियों को भूमि बेचान करने लगे और सम्पूर्ण भूमि को बेदखल, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हुए, वादीगण ने मना किया तो लड़ाई–झगड़ा व मारपीट करने की धमकी दी और वादीगण को भगा दिया। वाद कारण दिनांक 04/08/2022 को वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने हेतु उतारू होने व वादीगण की भूमि पर निर्माण व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा होने व प्रतिवादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी क्रम 10 को लैंड होल्डर होने व राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है, जिसके लिए 80 सीपीसी के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अनुमति पेश है। वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 140 पुराना 135 खसरा नंबर 1049/2820 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 1055 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.21

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 हैक्टर पर से गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुऐ वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बनाये रखे तथा वादीगण की भूमि को खुर्द–बुर्द, हस्तांतरण, निर्माण आदि नहीं करें वादीगण को बेदखल नहीं करें, वादीगण को शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहने देवें, वादीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, किसी का अवैध निर्माण कब्जा किया हो तो उसे हटा लेवें।

वाद प्रस्तुत करने के पश्चात, प्रतिवादीगण की तामील से पूर्व ही वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर वाद में संशोधन करने की प्रार्थना की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर वादी को वाद संशोधित करने की अनुमति प्रदान की गई। जिस पर वादी द्वारा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निम्न भूमियां स्थित है। जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमियां कहा गया है। ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 140 पुराना 135 खसरा नंबर 1049/2820 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 1055 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 हैक्टर, ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा नंबर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3439/1877 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टर, ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 1446 पुराना 147 खसरा नंबर 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर एवं खसरा नंबर 3436/1864 रकबा 0.48 हैक्टर, ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 212 पुराना 202 खसरा नंबर 1049 रकबा 0.39 हैक्टर ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी संवत 2029– 2032 के अनुसार खतौनी संख्या नयी 405 पुराना 402 खसरा नंबर 267 तलाब का पेटा रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादीगण के पिता रामसुक्खा बेटा माधो व भूरी बेवा गोपाल जाति माली बांट बराबर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिसके मिलान क्षेत्रफल संवत 2041–60 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

नये खसरा नंबर 1055 रकबा 2.56 हैक्टर, खसरा नंबर 1049 रकबा 0.45 हैक्टर बनाये गये। इसी प्रकार गत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी इटावा के खाते दर्ज है। जिसके नये खसरा नंबर 1877 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नंबर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर बनाये गए। नये खसरा नंबर वाद पत्र की मद नंबर 1 के अनुसार है। वादीगण के पिता रामसुक्खा व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी ने दिनांक 12/12/1977 को आपसी समझौते के तहत उक्त दोनों भूमियां अदल–बदल कर ली और गत खसरा नंबर के अनुसार खसरा नंबर 267 की भूमि 19 बीघा 81 बिस्वा तलाब का पेटा ग्राम इटावा जो रामसुक्खा वल्द माधो व भूरी बेवा गोपाल माली निवासी इटावा के बांट बराबर पर दर्ज है। चूंकि भूरी खातेदार ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 13/06/1975 को अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया शेष 9.5 बीघा भूमि वादीगण के पिता की प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी जी को व प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल के खाते की गत रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा वादीगण के पिता को देने की लिखा–पढ़ी हुई। लेकिन उक्त लिखा–पढ़ी की पालना वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओं के मध्य मौके पर नहीं हुआ तथा प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पढ़े–लिखे व शुरू से ही तहसील पीपल्दा से डीड राइटर होने से व कानूनी जानकारी होने से व वादीगण के पिता अनपढ़ होने के कारण वादीगण की भूमि खसरा नंबर 267 पर कपटपूर्वक व बेईमानी से वादीगण के पिता का रहन दर्ज होने पर भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा कुन्जबिहारी जी ने अपने खाते की भूमि गत खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा से भी अपना नाम नहीं हटाया और तहसील कर्मचारियों से मिलकर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि पर स्वयं कुन्जबिहारी जी का ही नाम दर्ज हो गया। जबकि उक्त समझौते के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी जी द्वारा खसरा नंबर 1928/1109 पर वादीगण के पिता रामसुक्खा का नाम दर्ज करवाना चाहिए। उक्त अदल–बदल की पालना आज तक नहीं हुई है वादीगण आज भी अपनी भूमि पर गत खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3439 /1877 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 3436/1864 रकबा 0.48 हैक्टर पर वादीगण आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है। जबकि प्रतिवादीगण दोनों भूमियों पर अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुऐ उक्त भूमियों को खुर्द –बुर्द, बेचान करने पर आमादा है। जबकि वादीगण की भूमि खसरा नंबर 1055 व 1049 पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी के साथ

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला झालावाड़

प्रतिवादीगण का नाम राहिन (पूर्ण खाता) गोपाल, बाबू पुत्र रामसुख, जमुना बेवा रामसुक्खा माली पंजाब नेशनल बैंक शाखा इटावा के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण भूमि पर अनुचित रूप से नाम दर्ज है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से रिकॉर्ड दुरूस्त करवाते हुऐ वादीगण की भूमि पर दर्ज प्रतिवादीगण के पिता का नाम कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल का नाम खाते से हटवाये व वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने की घोषणा करवाये तदर्थ वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, हस्तांतरण, रहन, बेचान, क्षतिग्रस्त करने पर आमादा है। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व निर्माण करने, पट्टा बनवाने व स्वयं के नाम संपरिवर्तन करवाने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि नामान्तरकरण का केवल वित्तीय उद्देश्य है, यह अधिकारों का अन्तिम निर्णायक नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण जबरन आपस में दीगर व्यक्तियों से मिलकर वादीगण को गलत तरीके से सम्पूर्ण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। प्रतिवादीगण दिनांक 04/08/2022 को वादीगण की भूमि पर आये और वादीगण की भूमि पर निर्माण करने लगे और अपने नाम का फायदा उठाते हुऐ दीगर व्यक्तियों को भूमि बेचान करने लगे और सम्पूर्ण भूमि को बेदखल, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हुए, वादीगण ने मना किया तो लड़ाई–झगड़ा व मारपीट करने की धमकी दी और वादीगण को भगा दिया। वाद कारण दिनांक 04/08/2022 को वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने हेतु उतारू होने व वादीगण की भूमि पर निर्माण व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा होने व प्रतिवादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित भूमि जमाबंदी संवत 2074 –77 के अनुसार ग्राम इटावा पटवार हलका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 खसरा नंबर 1928/1109 रकबा 9 बीघा जिसके नये खसरा नंबर, खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा नंबर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 3439 /1877 रकबा 0.16 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 हैक्टर, खाता संख्या नया 1446 पुराना 147 खसरा नंबर 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नंबर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर, खाता संख्या 1445 खसरा नंबर 3436/1864 रकबा 0.48 हैक्टर हैक्टर पर से गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी इटावा वर्तमान में इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1ता 4 का नाम खाते से हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करते हुऐ वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे तदनुसार वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बनाये रखे तथा वादीगण की भूमि को खुर्द–बुर्द, हस्तांतरण, निर्माण आदि नहीं करे वादीगण को बेदखल नहीं करे, वादीगण को शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहने देवे, वादीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, किसी का अवैध निर्माण कब्जा किया हो तो उसे हटा लेवें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा पेश किये गये मूल दावे (दिनांक 27/07/2022) में तथाकथित अदल–बदल दस्तावेज, अनुपयोगी होने से प्रार्थीगण तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 के खिलाफ ग्राम इटावा की खसरा संख्या 1049/2820 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा संख्या 1055 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा संख्या 105 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 हैक्टर भूमि में कुंजबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज करने तथा मूल वाद की मद नंबर 01 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सी.पी.सी. के जरिए संशोधन/परिवर्तन करने के बाद वादीगण के द्वारा पेश किये गये तरमीमी दावे में कथित अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 की पालना आज तक नहीं होने से वादीगण खसरा संख्या 1878 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा संख्या 3439/1877 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा संख्या 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा संख्या 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा संख्या 3436/1864 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि पर गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुंजबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी इटावा वर्तमान में इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम खाते से हटाकर वादीगण का नाम दर्ज करने तथा तरमीम दावे की मद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए तरमीम दावा पेश किया गया है। वादीगण के तरमीम प्रार्थना पत्र में मांगे गये तरमीम से ज्यादा दावा तरमीम (वर्तमान में इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम खाते से हटाकर) कर दिया है जो चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है। मूल दावा व तरमीम दावा में अभिवचन परस्पर विरोधाभासी है। मूल दावे में वादीगण का दावा करने का आधार अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 अनुपयोगी होने से तथा तरमीमी दावा उसी दस्तावेज की पालना के लिये पेश किया गया है। इस प्रकार दोनों दावे

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

एक–दूसरे के खिलाफ होने के आधार पर प्राइमाफेसी काबिले खारिजी है। वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि वादी की पूरी प्लीडिंग्स ही कोन्ट्राडिक्टरी है। वादीगण ने दिनांक 04/08/2022 को वादीगण का उसकी भूमि से बेदखल करने हेतु उतारू होने व वादीगण की भूमि पर निर्माण व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा होने व प्रतिवादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न होना बताया है। जबकि मूल दावे व तरमीम दावे की मद संख्या 4 में समान रूप से वादीगण द्वारा खसरा संख्या 1055, 1049 पर दर्ज कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाने व वादीगण का नाम दर्ज करने के लिये दावा पेश किया गया है। जबकि तरमीमी दावे में दूसरी भूमि मांगी जा रही है इसलिए दावा काबिले खारिजी है। वादीगण द्वारा कथित अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 की पालना करवाने के लिए दिनांक 17/08/2022 को 45 साल बाद दावा पेश किया गया है। कथित अदल–बदल दस्तावेज गैर कानूनी होने से (शामलाती जमीन का होने तथा कुन्जबिहारी के खातेदारी ही प्राप्त नहीं होने से) उसका इन्द्राज उस समय नहीं हो सका। इसी प्रकार कथित अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 गैर कानूनी व शून्य दस्तावेज होने से उसके आधार पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसलिए गैर कानूनी दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत दावा खारिजी किये जाने योग्य है। दिनांक 12/12/1977 के दस्तावेज के आधार पर इन्द्राज करवाने के लिये दिनांक 17/08/2022 को 45 साल बाद पेश किया गया दावा प्राइमाफेसी ही बेरून मियाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में वाद पत्र खारिज फरमाने की प्रार्थना की गई। वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ विशेष कथन किया गया कि वादीगण ने जो मूल दावा पेश दिनांक 27/07/2022 किया गया था उसमें मूल दावें में कुछ टंकण त्रुटियां हो जाने के कारण वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र बाबत् संशोधन किये जाने वाद पत्र नियमानुसार व कानून सम्मत तरीके से पेश किया गया। जिसे सही मानते हुऐ माननीय न्यायालय ने वादीगण की आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित वाद पत्र पेश किये जाने हेतु आदेशित किया गया। तदानुसार संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। मूल दावे व संशोधित दावे में वाद कारण स्पष्ट व समान है। जिसमें वाद की प्रकृति समान व स्पष्ट है। वाद की पृकृति में परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया 07 नियम 11 में दावा को ही पढ़ा जावेगा। प्रार्थीगण द्वारा उठाये गये आक्षेप दोनों पक्षों के साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद निश्चिय किया जावेगा। दावा जानकारी में आने के बाद अन्दर मियाद पेश किया है। लिमिटेशन की गणना दावे में स्पष्ट है, शेष लिमिटेशन का बिन्दु साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

बाद भी निर्णित किया जाना है। अन्त में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सव्यय खारिज फरमाने की प्रार्थना की गई।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी के निस्तारण हेतु वाद पत्र तथा दस्तावेजात जिन पर वाद पत्र निर्भर करता है का ही अवलोकन करना होता है। आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी के अनुसार

11. Rejection of plaint.– The plaint shall be rejected in the following cases:–

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed in undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9;

Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevent by any cause of exceptional nature for correction the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff

The remedy under Order VII Rule 11 is an independent and special remedy, wherein the Court is empowered to summarily dismiss a suit at the threshold, without proceeding to record evidence, and conducting a trial, on the basis of the

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

evidence adduced, if it is satisfied that the action should be terminated on any of the grounds contained in this provision.

The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल दावा व तरमीम दावा में अभिवचन परस्पर विरोधाभासी है। मूल दावे में वादीगण का दावा करने का आधार अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 अनुपयोगी होने से तथा तरमीमी दावा उसी दस्तावेज की पालना के लिये पेश किया गया है। इस प्रकार दोनों दावे एक–दूसरे के प्रतिकूल है। वादीगण की प्लीडिंग्स कोन्ट्राडिक्टरी होने से वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण पैदा ही नही हुआ है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2020) 7 SCC Page 366 Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali के अनुसार

13. "Cause of action" means every fact which would be necessary for the plaintiff to prove, if traversed, in order to support his right to judgment. It consists of a bundle of material facts, which are necessary for the plaintiff to prove in order to entitle him to the reliefs claimed in the suit. In Swamy Atmanand v. Sri Ramakrishna Tapovanam8 this Court held :

"24. A cause of action, thus, means every fact, which if traversed, it would be necessary for the plaintiff to prove an order to support his right to a judgment of the court. In other words, it is a bundle of facts, which taken with the law applicable to them gives the plaintiff a right to relief against the defendant. It must include some act done by the defendant since in the absence of such an act, no cause of action can possibly accrue. It is not limited to the actual infringement of the right sued on but includes all the material facts on which it is founded" (emphasis supplied) In T. Arivandandam v. T.V. Satyapal & Anr.9 this Court held

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

that while considering an application under Order VII Rule 11 CPC what is required to be decided is whether the plaint discloses a real cause of action, or something purely illusory, in the following words : -

"5. ...The learned Munsiff must remember that if on a meaningful – not formal – reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under O. VII, R. 11, C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing ..." (emphasis supplied) Subsequently, in I.T.C. Ltd. v. Debt Recovery Appellate Tribunal,10 this Court held that law cannot permit clever drafting which creates illusions of a cause of action. What is required is that a clear right must be made out in the plaint.

If, however, by clever drafting of the plaint, it has created the illusion of a cause of action, this Court in Madanuri Sri Ramachandra Murthy v. Syed Jalal11 held that it should be nipped in the bud, so that bogus litigation will end at the earliest stage.

The Court must be vigilant against any camouflage or suppression, and determine whether the litigation is utterly vexatious, and an abuse of the process of the court.

वैसे भी अदल – बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 लागू करने के लिए दिनांक 17/08/2022 को 45 साल बाद दावा पेश किया गया है। इतनी लम्बी अवधि के मध्य वादीगण को उनके कब्जे व खाते की भूमि तथा अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12/12/1977 का ज्ञान नहीं हो, सामान्य प्रज्ञा में इसकी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। वादीगण वाद को अवधि मध्य सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के अनुसार वाद बेरून मियाद होने के आधार पर भी वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जा सकता है।

वाद एवं प्रार्थना पत्र की पत्रावलियों में संलग्न मूल वाद, संशोधित वाद, प्रस्तुत दस्तावेजात का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण का गहनता से अध्ययन करने पर कुछ तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हुए हैं। वाद ग्रस्त आराजी वादी के पिता एवं दादा रामसुक्खा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

एवं भूरी बेवा गोपाल की संयुक्त खातेदारी में बांट बराबर दर्ज थी। रामसुक्खा द्वारा दिनांक 23.06.1963 को एक अपंजीकृत दस्तावेज से अपना 1/2 हिस्सा कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर को विक्रय कर दिया था, इस डीड को वाद के प्रतिवादीगण के दादा व पिता कुंजबिहारी ने स्वयं लिखा था। कालान्तर में शेष आधी आराजी भी कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर ने भूरी बेवा गोपाल से दिनांक 13.06.1975 को जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर ली, तभी से वाद ग्रस्त सम्पूर्ण आराजी जो वादीगण के दादा व पिता रामसुक्खा व भूरी बेवा के दर्ज थी पर कान्हा पुत्र मथुरा का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। सम्पूर्ण प्रकरण को पढ़ने से प्रतीत होता है कि वादीगण के दादा एवं पिता रामसुक्खा एवं प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता कुंजबिहारी ने साज–बाज होकर दोनों के सम्पूर्ण संज्ञान में होने के बावजूद जो आराजी दिनांक 23.06.1963 को जरिये अपंजीकृत दस्तावेज कान्हा पुत्र मथुरा को विक्रय कर दी थी एवं उसी के कब्जे काश्त में थी का विनिमय जरिए रजि0 विनिमय डीड से दिनांक 12.12.1977 को किया। चूंकि कुंजबिहारी ने जो आराजी विनिमय में दी थी वह रिकॉर्ड में तत्समय गैरखातेदारी थी इसलिए वह रामसुक्खा के नाम दर्ज नही हुई। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि मौके पर वास्तव में रामसुक्खा द्वारा कोई आराजी दी ही नहीं जा सकती थी इसलिए केवल रामसुक्खा की आराजी तो कुंजबिहारी के दर्ज हुई परंतु कुंजबिहारी के खाते की आराजी दिनांक 28.01.1978 को गैरखातेदारी से खातेदारी मिलने पर भी रामसुक्खा एवं कुंजबिहारी ने आपसी सहमति से रामसुक्खा के नाम दर्ज नहीं करवाई।

कुंजबिहारी द्वारा विनिमय डीड से रामसुक्खा के हिस्से की आराजी में नाम आ जाने के बाद इसी आराजी के कब्जे काश्त वाले अपंजीकृत दस्तावेज के केता कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर के विरूद्ध आपराधिक एवं राजस्व वाद लड़े गए जिनमें आपराधिक प्रकरणों में अंतिम नतीजा (एफआर) कोर्ट में पेश हुई और राजस्व वाद में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील डिक्री/159/86 में दिनांक 22.04.1989 को पारित निर्णय में जिसमें कुंजबिहारी के विरूद्ध निर्णय हुआ। श्रीमान राजस्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.04.1989 को गहनता से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.12.1977 की विनिमय डीड रामसुक्खा एवं कुंजबिहारी द्वारा malafied intension से collusion करके की थी। निर्णय से स्पष्ट है कि रामसुक्खा द्वारा दिनांक 23.06.1963 को अपंजीकृत दस्तावेज से अपना हिस्सा कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर को बेच दिया था, फिर उसी हिस्से की विनिमय डीड कुंजबिहारी के साथ कर ली, दोनों दस्तावेजों का डीड राईटर कुंजबिहारी ही था। इस निर्णय से कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर का कब्जा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

दिनांक 17.01.2023 को इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर (मथुरा गुर्जर के वारिसान) को आवश्यक पक्षकार मानते हुए वाद में पार्टी (पक्षकार) बनाने के निर्देश वादी को दिए गए थे, परंतु वादी ने आवश्यक पक्षकार जिनका कब्जा श्रीमान राजस्व अपील प्रधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.04.1989 से ही (Protected) सुरक्षित है को पक्षकार बनाकर दावा पेश नहीं करना वादी के छद्म अन्तरस्थ उद्देश्य को प्रकट करता है। वादी द्वारा वाद के साथ 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ फर्द दस्तावेज की जो सूची पेश की है उसमें स्वयं वादी ने श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.04.1989 की फोटोप्रति पेश की है, यह प्रतिलिपि दिनांक 29.06.1989 को प्राप्त की गई है, अर्थात वादीगण के दिनांक 26.06.1989 से ही वादीगण के पंजेशन में है। अतः वादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वादी को यह ज्ञात नहीं था कि दिनांक 12.12.1977 को विनिमय डीड की पालना नहीं हुई है।

वादी द्वारा मूल दावे की मद संख्या 5 में कथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा एवं पिता रामसुक्खा एवं कुंजबिहारी के बीच 12.12.1977 में हुई अदल–बदल के अस्तित्व में नहीं आने के कारण विनिमय डीड अनुपयोगी है अतः विनिमय डीड की पालना से रामसुक्खा के खाते आराजी पुराना खसरा नं0 267 एवं नवीन 1055 तथा 1049 पर दर्ज प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जाकर पुनः वादीगण के नाम दर्ज की जावे जबकि तरमीमी दावे की मद सं0 5 में कथन किया है कि मुताबिक विनिमय डीड 12.12.1977 वादीगण कुंजबिहारी के पुराने खसरा नं0 1928/1109 से बने नये खसरा नं0 1878, 3438/1877, 3439/1877, 3436/1864, 3437/1864 पर काबिज हैं अतः उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे, जो कि परस्पर विरोधी प्लीडिंग्स है। वहीं मूल एवं तरमीमी दोनों की मद संख्या 4 में वादी ने कथन किया है कि वादीगण के पिता के पढ़े–लिखे नहीं होने के कारण विनिमय पत्र 12.12.1977 की मौके पर पालना नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि मूल दावे की मद संख्या 4 एवं 5 यह सिद्ध करती है कि विनिमय डीड की मौके पर कभी पालना हुई ही नहीं क्योंकि स्पष्ट मौके पर रामसुक्खा की आराजी पर कान्हा पुत्र मथुरा गुर्जर का कब्जा था, परंतु वादी ने चालाकी पूर्ण तरीके से एकतरफा दावा एमेंड करवा कर मूल दावे की नेचर ही बदल दी है। तरमीमी दावे की मद सं0 4 एवं 5 भी विरोधाभासी हैं, क्योंकि मद सं0 4 में वादी कथन करता है कि विनिमय डीड 12.12.1977 की मौके पर पालना नहीं हुई जबकि मद सं0 5 में प्लीड करता है कि मौके पर तो पालना हो गई राजस्व रिकॉर्ड में एकतरफा आंशिक पालना हुई जिससे रामसुक्खा के खाते की आराजी तो कुंजबिहारी के दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

हो गई, परंतु कुंजबिहारी की आराजी रामसुक्खा के दर्ज नहीं है अतः विनिमय डीड की पूर्ण पालना कराई जावें।

प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर जो इस प्रकरण में पेश की गई है उससे स्पष्ट है कि किसी दावे में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निर्धारित करते समय फौरी तौर पर वादकारण न देखकर सम्पूर्ण वाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तोवेजों का अध्ययन करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वादकारण वास्तविक (Actual) है अथवा भ्रमात्मक (Illusionary) व रचा/गढ़ा (Illusionary/Fabricated) है इस सम्पूर्ण दावे एवं प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा प्रकरण के संबंध में चले पूर्व के राजस्व वाद तथा आपराधिक मामलों का गहनता से अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि विनिमय की गई आराजी रामसुक्खा द्वार विनिमय दिनांक 12.12.1977 से 14 वर्ष पूर्व दिनांक 23.06.1963 को ही अपंजीकृत डीड से बेचान कर कान्हा पुत्र मथुरा के कब्जे में सौंप दी थी, कुंजबिहारी द्वारा राससुक्खा की आराजी से जिस खसरा नं0 को दिनांक 12.12.1977 को विनिमय किया वह गैर खातेदारी की आराजी थी इसलिए विनिमय प्रारंभतः शून्य था जिसकी पालना किया जाना उचित नहीं था, चूंकि विनिमय केवल एक चालाकीपूर्ण तरीके से Collusion करके कागजी तौर पर तृतीय पक्ष को हैरान परेशान करने की नीयत से किया गया था इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता व दादा बराबर रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के दोषी हैं। जिस व्यक्ति को रामसुक्खा ने 60 वर्ष पूर्व अपंजीकृत बेचान करके आराजी का कब्जा सौंप दिया था इसे जानबूझकर दावे में पक्षकार बनाकर पेश नहीं किया और न्यायालय द्वारा बार–बार निर्देशित करने के उपरांत भी वादी ने आवश्यक पक्षकार को दावे में पार्टी नहीं बनाया है क्योंकि वादी कपटपूर्वक प्लीडिंग्स से न्यायालय को गुमराह करके रिलीफ प्राप्त करना चाहता है। वादी द्वारा भ्रमात्मक ड्राफ्टिंग कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार भी यदि Clever drafting कर illusionary cause of action बनाकर कोई दावा पेश किया जाता है तो न्यायालय को सावधानी पूर्वक पढ़कर विश्लेषण करना चाहिए कि वाद न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की दृष्टि से तो नहीं लाया गया है।

हस्तगत वाद को सावधानी से पढ़ने से ज्ञात होता है दावे में कोई उचित वादकरण व्युत्पन्न ही नहीं हुआ है।

इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 17.1.2023 में वादी को निर्देशित किया गया था कि वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार जिनका राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 22.04.1989 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रोटेक्ट किया हुआ था को पक्षकार बनावें परंतु

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

बार–बार निर्देशित करने के बावजूद भी वादी द्वारा आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है ऐसी दशा में अपर न्यायालय द्वारा जिस व्यक्ति का कब्जा प्रोटेक्ट किया हुआ हो उसका पक्ष सुने बिना दावे में कोई आगामी कार्यवाही किया जाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संभव नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार वाद फलतः वाद कारण के गठन के अभाव में तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाने के न्यायलय निर्देशों के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी स्वीकार किया जाकर दावा वादी नामंजूर कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा, कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा
2. गोपाल (मृतक) पुत्र रामसुक्खा जाति माली जर्ये कायम मुकाम –

(2/1) ओमप्रकाश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2/2) महावीर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2/3) मुकेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2/4) दिनेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2/5) विनोद पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2/6) चन्द्रकला पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा

(2/7) सुनीता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा

3. भैरूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा
4. घींसी पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा
5. मंगला पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. कृष्णमुरारी पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण
2. पुरूषोत्तम पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण
3. निर्मला देवी पुत्री कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण
4. बृजमोहन (मृतक) पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राह्मण जरिये कायम मुकाम

(4/1) विद्यादेवी पत्नी बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4/2) अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4/3) मधुसूदन पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4/4) उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

(4/5) मन्जू शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी कोटा रोड इटावा

5. मेघराज पुत्र रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

6. मदनलाल पुत्र मूलीलाल जाति धाकड़ निवासी शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
7. परमानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति खाती निवासी आडागैला तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
8. मन्जू पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी सरोवर नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
9. रूपनाथ पुत्र छीतानाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92(क), 188आर.टी.एक्ट.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र द्वारा प्रतिवादी अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर से आज **13.06.2023**को डिक्री जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूपयै	रूपयै
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा